संख्या-457/2022/2632/41-2022-291 (बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 24 अगस्त, 2022**

विषयः- जनपद लखनऊ के पर्यटन भवन/पर्यटन निदेशालय में फसाड लाइट लगाये जाने की परियोजना को निरस्त किये जाने तथा अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3271/6-1-1(1412)/2021-22 दिनांक 05 अगस्त, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रायोजना में Integrated Project में Building का expansion/Renovation के कार्यो को सम्मिलित कर पूर्ण करा लिये जाने के पश्चात पर्यटन भवन/पर्यटन निदेशालय में फसाड लाइटिंग के कार्य कराये जाने का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रायोजना को निरस्त किये जाने तथा अवमुक्त कुल धनराशि रू0 113.00 लाख मय ब्याज सहित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 लखनऊ से वापस लिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-173/2022/आई/150543 /41-1002(001)/195/2021- 291 (बजट)/2021 दिनांक 28.03.2022 द्वारा जनपद लखनऊ के पर्यटन भवन/पर्यटन निदेशालय में फसाड लाइट लगाये जाने की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-173/2022/आई/150543 /41-1002(001)/195/2021- 291 (बजट)/2021 दिनांक 28.03.2022 एवं शासनादेश संख्या-375/2022/1737/001-41- 2022-291-बजट-2021 दिनांक 22.06.2022 द्वारा क्रमशः अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 10.00 लाख एवं 103.00 लाख, कुल धनराशि रू0 113.00 लाख (रूपये एक करोड़ तेरह लाख मात्र) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल), लखनऊ से ब्याज सहित वापस लेकर नियमानुसार राजकोष में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ, उ0प्र0।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in